

8/6/23

वकील अपीलार्थ उपस्थित । वकील अपीलार्थ ने कथन
किया कि अख्यनक्षत्र न्यायालय में मूल वाद का
निस्तारण हो चुका है। मूल वाद का निस्तारण होने
से अपील खारिज की जाती है। पत्रावली नंबर से
कम कर दायित्व रफ्तार हो।